C.F.R.15L

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक- R-293-III/09

महिला सावित्रीदेवी पत्नी स्व0 द्वारका प्रसाद यादव निवासी बनगाँय खास तहसील ओरछा जिला टीकमगढ़ म0 प्र0 ------- आवेदिका

बनाम

1. विजयकुमार सैनी वल्द बलराज सैनी
2. श्यामसुंदर सैनी वल्द बलराज सैनी
दोनों निवासी 803/1 ग्वालियर रोड सिविल लाइन झांसी तहसील व जिला झांसी उ0प्र0---अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव एडवोकेट द्वारा आज दि0 9.3.09 को प्रस्तुत।
अवर सचिव 9.3.09
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रतिकूल आदेश एवं निर्णय विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ओरछा के रा0प्र0क्र0 53/अ6/2007-2008 में पारित आदेश दिनांक 28.2.2009 के विरुद्ध संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत।

मुकेश भार्गव
9-3-09 एडवोकेट
ग्वालियर

माननीय जी,

आवेदिका सादर निम्न प्रकार विनय है :-

(1) यह कि आवेदिका के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि खसरा नंबर 182/1/5 रकबा 4.047 हे0 स्थित ग्राम बनगाँय खास में है। जिसका आवेदिका ने कभी कोई विक्रयपत्र या किसी प्रकार का अंतरण किसी को भी नहीं किया है।

(2) यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदकगण द्वारा दिनांक 19.8.2008 को संहिता की धारा 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन किया कि उपरोक्त उल्लिखित वादग्रस्त भूमि के हिस्सा 1/2 को उनकी माता महिला शकुंतलादेवी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 9.5.91 को खरीद किया। महिला शकुंतलादेवी का निधन हो गया है और उसके एक मात्र वारसान हम लोग हैं इसलिये उनके नाम नामांतरण किया जावे। जिसका समन व नोटिस आवेदिका को फर्जी तरीके जारी किया गया। दिनांक 9.9.2008 को आवेदिका विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में जारी किये गये समंस की परिपालना में उपस्थित हुई। जहाँ उसे उक्त वाद पत्र की नकल दी गई। अभिलेख की कोई प्रतियाँ संलग्न न होने से उसकी भी माँग की गई। लेकिन वह प्रदाय नहीं की गई एवं प्रकरण दिनांक 16.9.2008 को

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** निगरानी-293-तीन/2009 जिला टीकमगढ़ सावित्री विरूद्ध विजय कुमार

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 25-02-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार ओरछा के प्रकरण क्रमांक 53/अ-6/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 28-02-2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।<br>2. पक्षकार दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।<br>(आर.के. जैन) 25/2/2019<br>सदस्य | |